

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2442] No. 2442] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 2017/भाद्र 3, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 2017/BHADRA 3, 1939

उपभोक्ता मामले. खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली. 25 अगस्त. 2017

का.आ. 2785(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्वंधन हटाना आदेश, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातु:—

- 1. संक्षिप्त नाम और लागू होना.—
- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्वंधन हटाना (तीसरा संशोधन) आदेश, 2017 है।
- (2) यह, उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा;
- 2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, 2016 में खंड 3 के उप-खंड (2) में, मद संख्या (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- "(iv) प्याज, 31 अक्तूबर, 2017 की अवधि तक ।"

[फा. सं. एस-10/3/2017-ईसीआरएंडई]

पी.वी. रामाशास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.िन. 929(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात उसमें – का.आ. सं. 3341(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2016; का.आ. सं. 1288(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2017 और का.आ. सं. 1600 (अ), तारीख 17 मई, 2017 द्वारा संशोधन किए गए थे।

5297 GI/2017 (1)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 25th August, 2017

S.O. 2785(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely:—

- Short title and commencement.—
- (1) This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Third Amendment) Order, 2017.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), after the item (iii), the following item shall be inserted, namely:—
 - "(iv) Onion, for a period up to the 31st October, 2017.".

[F. No. S-10/3/2017-ECR & E]

P. V. RAMA SASTRY, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 929(E), dated the 29th September, 2016 and was subsequently amended *vide* numbers S.O. 3341(E), dated the 27th October, 2016, S.O. 1288(E), dated the 25th April, 2017 and S.O. 1600(E), dated the 17th May, 2017.